

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
भदोही।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ओम पब्लिक स्कूल, विट्ठलपुर(छतमी), जी०टी०रोड, गोपीगंज,डीघ, भदोही
जनपद-भदोही।

पत्रांक: मान्यता/ 778/ -89

/2017-18/दिनांक:-26/3/18

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक:-30.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही, ओम पब्लिक स्कूल, विट्ठलपुर(छतमी), जी०टी०रोड, गोपीगंज,डीघ, भदोही को दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तमान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्लीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सद्गत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ताता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-	51030 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्र-	12000 वर्ग फीट
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल-	अवशेष भाग
कक्षाओं की संख्या-	10
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष-	है
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-	है
पेयजल सुविधा-	सबमर्सिबल/हैण्डपम्प
मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-	01 कक्ष
बाधा रहित पहुँच-	है
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-है	

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक:-E/NUP/14/2018 कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(प्रकाश नारायण श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
भदोही

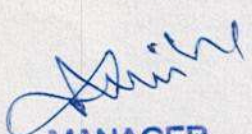
पृ0सं0:- मान्यता/

/2017-18/तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय भदोही।
2. मुख्य विकास अधिकारी भदोही।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग अधिकारी भदोही।
7. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/नगर शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी) भदोही।
8. कार्यालय प्रति।

(प्रकाश नारायण श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
भदोही।


MANAGER
Om Public School
Vithalpur, Chhattami, Gopiganj
R.N. Bhadohi


Principal
OM-PUBLIC SCHOOL
Vithalpur, Chhattami
Gopiganj, S.R.N. Bhadohi